[illegible]

29/05/2024

२९।५।२४

पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप.। वकील वादी नवीन वाद पत्र पेश करने के अधिकार सुरक्षित रखते हुये वाद पत्र विड्रो करना चाहते है इस बाबत वकील वादी द्वारा पत्रावली आदेशिका पत्र टिप्पणी अंकित की। वकील वादी को सुना गया। वकील वादी द्वारा नवीन वाद पत्र पेश करने की स्वतंत्रता के साथ वाद पत्र विड्रो किया है। ऐसी स्थिति मे पत्रावली पर आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नही रह जाती है। अतः वादी के नवीन वाद पत्र पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये वाद पत्र पर कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)